राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–55/2020

अरविन्द कुमार कुमावत

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये पुलिस महानिदेशक, जयपुर।
2. पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, लाल कोठी, जयपुर।
3. पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय जयपुर, एमआई रोड, जयपुर, राज. 302001।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 15.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री शोभित तिवाड़ी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य के लिए दी जाने वाली विशेष पदोन्नति के आधार पर पदोन्नति प्रदान की गई थी, जिसके संबंध में आदेश दिनांक 06.04.2016 पारित किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी को वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध योग्यात्मक परीक्ष उत्तीर्ण करने पर नियमित पदोन्नति की गई। इस प्रकार अपीलार्थी को विशेष पदोन्नति जो कि कानि. से हैड कानि. के पद पर दी गई थी, उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। अपीलार्थी नियमानुसार विशेष पदोन्नति के लिए अग्रीम पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अपीलार्थी को हैड कानि. से सहायक उप निरीक्षक के पद पर विशेष पदोन्नति वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध दी गई, जिसके संबंध में आदेश दिनांक 13.08.2019 (अनुलग्नक–6) पारित किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को सहायक उप निरीक्षक के पद पर विशेष पदोन्नति गलत रूप से वर्ष 2019–2020 की रिक्तियों के विरूद्ध दी गई, जबकि अपीलार्थी वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक उप निरीक्षक के पद पर विशेष पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के पूर्व के वर्षों की रिक्तियों के विरूद्ध अर्थात् वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध विशेष पदोन्नति में समायोजित करने का अधिकारी है, क्योंकि पूर्व में भी सहायक उप निरीक्षक के पद रिक्त थे। उनका आगे तर्क है कि हैड कानि. पद से सहायक उप निरीक्षक पद पर रिक्ति

निर्धारण प्रपत्र जो वर्ष 2015–16 के लिए तैयार किया गया था, उसमें वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति आदेश दिनांक 27.09.2018 को जारी किये गये थे, परंतु इससे पूर्व ही अपीलार्थी को नियमित पदोन्नति दिनांक 12.06.2018 को वर्ष 2012–13 में ही दे दी गई थी। अर्थात् अपीलार्थी को विशेष पदोन्नति दी जानी थी, उसके संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को ज्ञान दिनांक 12.06.2018 को ही था, परंतु फिर भी अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक उप निरीक्षक के रिक्त पद पर पदोन्नति नहीं दी गई। अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना की गई है कि अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 के लिए सहायक उप निरीक्षक के पद पर समायोजित किया जायें।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि पुलिस आयुक्तालय, जयपुर में आयोजित सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक पद की योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2012–13 एवं 2014–15 में उप निरीक्षक के पद पर रिक्त पदों से अधिक चयनित सहायक उप निरीक्षक गण पीसीसी की प्रतिक्षारत होने के कारण वर्ष 2015–16 में उप निरीक्षक के पद रिक्त नहीं होने के कारण योग्यात्मक परीक्षा का आयोजन नही किया गया था एवं स्थानान्तरण से रिक्त हुये पदों को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.06.2008 के अनुसार स्पष्ट रिक्त पद नही माने गये हैं जिसके कारण उक्त पदों को रिक्तियों की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता है। पुलिस मुख्यालय राजस्थान, जयुपर के पत्र संख्या 1399 दिनांक 19.03.2020 में वर्णित प्रावधानुसार पुलिस आयुक्तालय, जयपुर की सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक पद की योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2012–13 से 2018–19 की रिक्तियों की गणना कर रिव्यू की गई थी। रिव्यू बोर्ड द्वारा सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक पद की योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2015–16 हेतु रिक्त पदों की गणना की गई। आयोजित योग्यात्मक परीक्षाओं में उ.नि. के पद पर अधिक पदोन्नत हो जाने के कारण रिक्त पदों की गणना शुन्य की गई रिक्त पद नही होने के कारण वर्ष 2015–16 में योग्यात्मक परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। उक्त वर्ष की रिक्तियों की पुनः समीक्षा किये जाने पर (सामान्य–05, एससी–0, एसटी–0) के पद रिक्त रहते हैं। उक्त रिक्त पदों के विरूद्ध सामान्य वर्ग में पूर्व में आयोजित योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2014–15 में अधिक चयनित स.उ.नि. गण में से सामान्य वर्ग के 05 कार्मिक का समायोजन किया गया हैं।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि वर्ष 2015–16 और 2016–17 में सहायक उप निरीक्षक के रिक्त पद नहीं होने के कारण अपीलार्थी को वर्ष

2015–16 और 2016–17 में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की जा सकती। अपीलार्थी को हैड कानि. के पद पर नियमित नियुक्ति आदेश दिनांक 12.06.2018 के द्वारा वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध दी गई थी। इस प्रकार अपीलार्थी को जो विशेष पदोन्नति दी जानी थी, उसके संबंध में अपीलार्थी को 12.06.2018 के पश्चात ही आगामी पदोन्नति पर विचार किया जा सकता था। हमारे मत में यह कहना गलत है कि दिनांक 12.06. 2018 के पश्चात वर्ष 2015–16 के लिए सहायक उप निरीक्षक पद के लिए कोई रिक्ति नहीं हो। अपितु वर्ष 2015–16 के लिए हैड कानि. से सहायक उप निरीक्षक के पद पर रिक्त पदों पर पूर्ति हेतु कार्यवाही दिनांक 12.06.2018 के पश्चात की गई, जिसमें अपीलार्थी को पदोन्नति दी जा सकती थी। यह भी प्रकट हुआ है कि वर्ष 2015–16 में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2015–16 के लिए संभावित रिक्तियां 44 रहीं, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी पर विचार किया जा सकता था। कूल रिक्तियों से 10 प्रतिशत तक की रिक्तियों में विशेष पदोन्नति के जरिये पदोन्नति किये जाने का प्रावधान है। ऐसे में अपीलार्थी को सहायक उप निरीक्षक के पद पर विशेष पदोन्नति वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध दी जा सकती थी। अपीलार्थी को सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के विरूद्ध प्रदान की गई है, जो गलत है। अपीलार्थी वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान करने का अधिकारी था।

4. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक उप निरीक्षक के रिक्त पद के विरूद्ध समायोजित किया जावें। साथ ही अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)